

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या -141/2001 ( 21/2010)

वादी - मानाराम पुत्र श्री वीरमा जाति भील निवासी मांगला भीलो की ढाणी, तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.।

ब नाम

प्रतिवादीगण -

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
2. जगदीश पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
3. घनश्याम पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
4. प्रेमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
5. गोपीकिशन पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
6. श्रीमति रामप्यारी पत्नी पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी सभी निवासीयान हनुमान मन्दिर के पास, बाडमेर
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद हेतु अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा, व्यादेश बाबत

उपस्थित :-

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी .
  2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मंगल
- :: निर्णय ::

दिनांक - 9/5/22

यह वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया है। वाद के तथ्य संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है - कि वादी अनुसूचित जनजाति भील जाति के सदस्यगण है जिन्हें धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है। खालसा गांव मांगला फार्म वर्तमान में भीलो की ढाणी, मांगला की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 264, 268, 269, 340 रकबा क्रमशः 28.01, 8.16, 8.16, 14.16 बीघा आयी हुई है, उक्त खेत खसरा संख्या 264, 268, 269, 340 के पुराने खसरा संख्या 103 थे।

कि वादग्रस्त कृषि भूमि दिनांक 15.10.1955 से पहले व बाद में तथा दिनांक 01.05.1964 को वादी के पिता स्व. वीरमा के कब्जा काश्त की थी, मांगला फार्म की द्वितीय भू प्रबन्ध वर्ष संवत् 2024 से 2029 में हुआ। सेटलमेन्ट पूर्व से वादग्रस्त कृषि भूमि कब्जा काश्त वादी के पिता वीरमा का रहा। वीरमा का देहान्त होने के बाद निरन्तर, सतत कब्जा काश्त वादी का नियमित रूप से बदस्तुर कायम है।

कि विगत भू प्रबन्ध पर्चा लगान वादी के पिता वीरमा के नाम जारी हुआ। यद्यपि कब्जा काश्त वादी के पिता वीरमा व वादीका रहा है व है किन्तु प्रतिवादीगण बहुत की धनाढय व प्रभावशाली व्यक्ति है, ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलावट कर दुराभिसंधि कर राजस्व अभिलेख में हेर फेर कर प्रतिवादीगण के नाम कर दिया, जबकि सेटलमेन्ट ऑपरेशन में भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था, किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक देने का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग का नहीं था। सामान्य सेटलमेन्ट ऑपरेशन में केवल गत भू प्रबन्ध की प्रविष्टियों का मात्र पुनरावर्ती तक ही की जा सकती है यदि पुनरावर्ती के अलावा अन्य कोई प्रविष्टियां अंकित की जाती है तो आदित शून्य होती है। आदित शून्य प्रविष्टियों की आड में प्रतिवादीगण को वादग्रस्त-कृषि भूमि में न तो कोई अधिकार उत्पन्न हुये, न ही अधिकार उत्पन्न हो सकते है। प्रतिवादीगण



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) सिवान

भी भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त तक नहीं की, समय - समय पर संवत् 2010 व बाद गिरदावरी अभिलेख में दानीया का कब्जा दर्ज होता रहा है किन्तु प्रतिवादीगण ने अवैध व अनुचित तरीके से वादी के पिता का नाम हटवा दिये, मौके पर वादी का कब्जा काश्त है। स्थाई रहवास की ढाणीयां बनी हुई है, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी शक्तिशाली प्रास्थिति का दुरुपयोग कर पुलिसकर्मीयों से मिलावट कर झूठे फौजदारी प्रकरण बनाकर वादी को बेदखल करने हेतु आमादा है, ऐसी स्थिति में वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतु राजस्व वाद बाबत् अधिकार घोषणा के अनुतोष का श्रीन्यायालय में पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जेठाराम सिंघल व श्री रमेश मंगल ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जबाव मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की अवश्य आयी हुई है लेकिन वादी ने गलत तरीके से अदालत हाजा को गुमराह करने की नियत से खसरा नम्बर 264, 268, 269, 340 का वाद पत्र वादी का कब्जा होने का कथन गलत है उक्त भूमि पूर्व से ही यानि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादीगण के कब्जा खातेदारी की थी तथा वादपत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये उक्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का होना बताया तथा दावा खारिज करने की इस्तदुआ की, साथ ही काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा खातेदारी की है व रही। पूर्व में प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारीयों द्वारा स्वयं की लागत लगाकर काश्त की जाती थी एवं भील परिवार के सदस्यों को बतौर श्रमिक काश्तकारी के कार्य सूड, कटान निदान करने व धान साफ करने हेतु रखे जाते थे, जिनसे ये तथ्य स्पष्ट है कि वादी, प्रतिवादीगण के यहां बतौर श्रमिक ही कार्य करते थे, जिनसे वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा तारबंदी की हुई है व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है तथा साथ ही वादी के अन्य सदस्यों ने करीबन 15 और मुकदमें दर्ज करवा रखे है इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने हेतु उक्त मुकदमें दर्ज करवाये है एवं प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम कर वादी के विरुद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी, रूकावट पैदा नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की एवं वादी द्वारा नाजायज तौर से वादग्रस्त भूमि पर छपरा बनाया गया है, को जरिये आज्ञापक व्यादेश के हटाया जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 ने भी जबाव प्रस्तुत किया।

कि वादी द्वारा काउन्टर क्लेम के तथ्यों का खण्डन करते हुये वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादपत्र व जबावदावा मय काउन्टर क्लेम के तथ्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारीगण है? जिम्मे वादीगण
2. आया वादी विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारीगण है ? जिम्मे वादीगण
3. आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के संबंध में काउन्टर क्लेम के अनुसार दादरसी पाने के अधिकारीगण है ? जिम्मे प्रतिवादीगण
4. सहायता ?

वादी ने अपने वाद के समर्थन में पी.डब्ल्यू 1 वादी मानाराम, पी. डब्ल्यू 2 शैतानसिंह  
 पी. डब्ल्यू 3 रामाराम व पी. डब्ल्यू 4 भूरारामन्यायालय में प्रस्तुत हुये, जिनसे विस्तृत जिरह की  
 गई। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058  
 (S.D.O) सिवाना

श 01 ता 4, चैनमेन हाजरी रजिस्टर प्रदर्श 5 व 6, फर्द इख्तलाफ प्रदर्श 7, मौका रिपोर्ट प्रदर्श 8, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 9 ता 12, मौका फर्द प्रदर्श 13 प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में तत्कालीन भू. अभिलेख निरीक्षक समदडी डी. डब्ल्यू 1 दिलीप वैष्णव डी डब्ल्यू 2 प्रतिवादी ओमप्रकाश न्यायालय में प्रस्तुत हुये, प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में निम्न दस्तावेजात वादग्रस्त खेत की जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 प्रदर्श ए1 व जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए 2, तहसीलदार सिवाना द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए 3, पटवारी कुम्पावास की जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए 4, मीठाराम द्वारा प्रतिवादीगण के काश्तकारों के विरुद्ध दर्ज करवायी गई रिपोर्ट एफ आर प्रदर्श ए5, सेवाराम पुरुषोत्तमदास के पक्ष में जारी ढाल बाछ प्रदर्श ए 6, अन्य भीलो द्वारा किये गये दावे प्रदर्श ए 7 व ए 8, प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी बापी पट्टा प्रदर्श ए 9 व 10 है।

वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की अन्तिम बहस सुनी गई, दौरान अन्तिम बहस वादी के अधिवक्ता ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि, वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर, वादग्रस्त भूमि वादी के नाम की खातेदार घोषित की जावे एवं दौरान बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के तथ्यों को नकारते हुये वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की है व प्रतिवादीगण का कब्जा है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा वादी के विरुद्ध जारी फरमाई जावे। तथा न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व वादपत्र व काउन्टर क्लेम मय जबाव का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

तनकी संख्या 1.

आया वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारीगण है? को सिद्ध करने का भार वादी पर है,

इस सम्बन्ध में वादी ने अपने गवाह पी. डब्ल्यू 1 स्वयं मानाराम उपस्थित हुआ तथा पी. डब्ल्यू 2 शैतानसिंह, पी. डब्ल्यू 3 रामाराम व पी. डब्ल्यू 4 भूराराम उपस्थित हुये, उक्त गवाह मानाराम ने अपने दस्तावेज में जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 4 पेश की, जो प्रतिवादीगण के नाम की है व गिरदावरी रिपोर्ट प्रदर्श 9 ता 12 पेश की, जिसमें खातेदारी के कॉलम में विरमा की काश्त का इन्द्राज है, जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, जिरह के दौरान उक्त वादग्रस्त खेत के खसरा रकबा के सम्बन्ध में वादी मानाराम याद नहीं होने का कहता है व बिगोडी की रसीद का भी नहीं होना बताता है ऐसी स्थिति में जब गवाह को किस भूमि के बाबत दावा किया है, उसका ज्ञान भी वादी गवाह को नहीं है तथा वादी गवाह उक्त भूमि के नाप का भी स्पष्ट कथन नहीं करता है न ही विगोडी की रसीदों के बारे में कोई कथन करता है इसी प्रकार पी डब्ल्यू 2 शैतानसिंह जो कि ग्राम जेठन्तरी का निवासी है को वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर, रकबे की जानकारी नहीं होना बताता है व वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड में किसका नाम है, जिसके बारे में भी कोई जानकारी होना नहीं बताता है।

इसी प्रकार डी. डब्ल्यू 1 दिलीप वैष्णव जो कि तत्समय पटवारी के पद पर था व वर्तमान में तहसील समदडी का आर. आई है जो रिकॉर्ड देखकर प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी होना बताता है। वादग्रस्त भूमि में किसका कब्जा है इस बारे में उक्त गवाह इतना ही कहता है कि भीलो की ढाणीयां बनी हुई है। कहां बनी हुई है उसके बारे में गवाह को जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि वर्तमान में सेवाराम के नाम से 106.15 बीघा जमीन मांगला फार्म में दर्ज है, जो जमाबन्दी में इन्द्राज है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य व दस्तावेज के अनुसार उक्त तनकी वादी साबित करने में असफल रहे, तथा उक्त तनकी वादी के विरुद्ध, प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

संख्या 2.

आया वादी विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी रखाने के अधिकारीगण है ?


उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है चूंकि तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध तय की गई है, जब खातेदारी अधिकार ही वादी को प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो स्वतः ही तनकी संख्या 2 वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3. आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के संबंध में काउन्टर क्लेम के अनुसार दादरसी पाने के अधिकारीगण है ?


उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने अपनी चालू जमाबन्दी व दस्तावेजात में दर्ज राजस्व रेकॉर्ड पेश किये हैं, जिस पर समस्त दस्तावेजात में प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी सेवाराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में डी. डब्ल्यू 1 दिलीप वैष्णव राजस्व कर्मचारी व डी. डब्ल्यू 2 प्रतिवादी ओमप्रकाश उपस्थित आये। जिनकी साक्ष्य अखण्डित रही। व दौरान जिरह वादी का कब्जा नहीं होना बताया व कब्जा काशत प्रतिवादीगण का ही होना दर्शित किया। लिहाजा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहे तथा प्रतिवादीगण अपना काउन्टर क्लेम साबित करने में सफल रहे। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 264, 268, 269, 340 रकबा क्रमशः 28.01, 8.16, 8.16, 14.16 बीघा सरहद मौजा भीलो की ढाणी मांगला के बाबत वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी स्वयं, उसके एजेन्ट या प्रतिनिधि, प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की उनके कब्जा काशत में कोई दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। वादी के द्वारा नाजायज तौर से वादग्रस्त भूमि पर जो छपरा बनाया गया है उसे मौके से हटा ले। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना - अपना वहन करे।



  
(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) सिवानी  
(S.D.O.) सिवानी

निर्णय आज दिनांक 9/5/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

  
(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) सिवानी  
(S.D.O.) सिवानी

डिगरी व मुकदमे इबतदाई  
(ओ. 20 रू. 6 -7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D' -1)

**अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाडमेर)**

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

वादी - मानाराम पुत्र श्री वीरमा जाति भील निवासी मांगला भीलो की ढाणी, तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.।

**ब न अ म**

प्रतिवादीगण -

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
2. जगदीश पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
3. घनश्याम पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
4. प्रेमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
5. गोपीकिशन पुत्र पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी
6. श्रीमति रामप्यारी पत्नी पुरुषोत्तमदास माहेश्वरी सभी निवासीयान हनुमान मन्दिर के पास, बाडमेर
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

**वाद हेतु अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा, व्यादेश बाबत**

राजस्व प्रकरण संख्या - 141/2001 ( 21/2010)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीअधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रमेश मंगल की उपस्थित। वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 264, 268, 269, 340 रकबा क्रमशः 28.01, 8.16, 8.16, 14.16 बीघा सरहद मौजा भीलो की ढाणी मांगला के बाबत वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी स्वयं, उसके एजेन्ट या प्रतिनिधि, प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की उनके कब्जा काशत में कोई दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। वादी के द्वारा नाजायज तौर से वादग्रस्त भूमि पर जो छपरा बनाया गया है उसे मौके से हटा ले। खर्चा पक्षकारान् अपना - अपना वहन करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9/5/22 को डिक्री पर्चा जारी किया गया।



कमांक: वाचक / 2022 /

प्रतिलिपि - वास्ते पालनार्थ  
भूमिधारक तहसीलदार समदडी

दिनांक

(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर  
सिवाना  
(S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)  
सहायक कलक्टर  
सिवाना  
(S.D.O.) सिवाना